# कार्यलय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2728 / FP/UK/ROAD/35678/2018: देहरादूनः दिनांकः 12 मई, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–पिथौरागढ अंर्तगत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत बड़ावें–धारी–बेल्तडी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्यारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/35678/2018)**

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्र सं0– 8बी0/यू0सी0पी0/06/56/2019/एफ0 सी0/2914, दि0:–13/03/2020।**

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 4854/12–1(2) दिनांक 27.04.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

| क0 स0 | भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्ते | कृत कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपी जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.734 हे0 गैर वानिकी भूमि खसरा नं0 10, पट्टी–पत्थरखानी, ग्राम–क्वारबन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों के एकल कृषि से बचें। | (क) उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा 7.734 हे0 गैर वानिकी भूमि खसरा नं0–10, पट्टी–पत्थरखानी, ग्राम–क्वारबन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। विभाग द्वारा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। |
| | (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। | (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनीकरण हेतु चयनित स्थल को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक–262/सात–02/2020–21 दिनांक–17.11.2020 के क्रम में वन विभाग के स्वामित्व में कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** तथा उक्त चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने संबधी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **(संलग्नक–2)** |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

0/c

| | | |
|---|---|---|
| | लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | |
| 5 | (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C)संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 566, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1995-एफ0सी0, (Pt.2) दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:05-02-2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.867 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| | (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जोअन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। |
| 6 | प्रयोक्त अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 होगी एवं राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानांतरित/जमा किये जाएगें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 25,40,619.00 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 26,07,781.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 51,48,400.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक-3)** |
| 8 | एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | एफ0आर0ए0,2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। |
| 9 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनो किनारो एंव उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनो किनारो एंव उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढाएगा। |
| 10 | संरक्षाति क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगें। | संरक्षाति क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगें। |
| 11 | सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यू/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र,वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या-11 का अनुपालन किया जाएगा। |
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। |
| 13 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जाएगा | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जाएगा। |
| 14 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग के द्वारा शर्त संख्या-14 का अनुपालन किया जाएगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी | उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा |

| | | |
|---|---|---|
| | अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। |
| 16 | संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। | संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। |
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा। |
| 18 | इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो,लक्षित किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–एफ0 सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। |
| 22 | पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। | पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। |
| 23 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। |

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय,

( डॉ0 कपिल जोशी )
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**संख्या–2778 /FP/UK/ROAD/35678/2018 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड़, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई पिथौरागढ़।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।